न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/54/2019

1– प्रतापसिंह
2– बीरीसिंह
3– रमेशसिंह
} पिसरान गोविन्दसिंह अकवाम जाट निवासी खंसवाड़ा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी नदबइई ।
2– गोपालराम पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी खंसवाड़ा तहसील कुम्हेर

..... असल अप्रार्थीगण

3– प्रहलादसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
4– महावीरसिंह पुत्र परमाल
5– रामवीरसिंह पुत्र परमाल
6– श्यामवीरसिंह पुत्र परमाल
7– गीता पत्नि पूरन
} जाति जाट निवासी खंसवाडा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

8– सीता पत्नि हरविलास पुत्री परमाल
9– संतो पत्नि वाके पुत्री परमाल
} जाति जाट निवासी कुरका तहसील रूपवास जिला भरतपुर (राज0)

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी नदबई श्री विनोद कुमार मीणा ।

निर्णय **दिनांक 25.02.2020**

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि एक दावा उनवानी प्रतापसिंह बनाम गोपालराम प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 संख्या 19/18 उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण का मुख्य क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर है । इस कारण उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर में पेश

किया गया था । किन्तु तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री घनश्याम शर्मा के विरूद्ध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाने पर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई को स्थानान्तरण होने के कारण प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नदबई के यहां विचाराधीन है । उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी किये बिना ही पत्रावली को अन्तिम बहस में नियत कर दिया है । पीठासीन अधिकारी प्रकरण को खारिज करना चाहते हैं।प्राथी अपने काम से दिनांक 23.12.2019को उपखण्ड कार्यालय नदबई गया था तो अप्राथी गोपाल राम को प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी नदबई के चैम्बर में से अकेले निकलते देखा है और गोपाल राम ने गांव के लोगों से स्पष्ट कहा है कि उसने उपखण्ड अधिकारी से बात करली है और वे अब की तारीख पर मुकदमे को खारिज कर देंगे । इस कारण श्री विनोद कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी के व्यवहार से प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी असल सं02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और अपना जबाव पेश किया । उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई।अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा उनवानी प्रतापसिंह बनाम गोपालराम में पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं को दर किनार करते हुए बिना कोई गवाह लिए पत्रावली बहस में लगादी है । पीठासीन अधिकारी द्वारा डाइस पर ही कहा है कि इस प्रकरण में कुछ भी नहीं है यह तो खारिज होगा । उपखण्ड अधिकारी श्री विनोद कुमार मीणा की आम सौहरत खराब है और उनका रूख अप्रार्थीगण के पक्ष में दिखाई दे रहा है । अभिभाषक प्रार्थीगण ने यह भी जाहिर किया कि न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि न्याय खुले न्यायालय में दीखना भी चाहिए । पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है । इसलिए प्रकरण को अन्य किसी राजस्व अदालत में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई ।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 11.07.2018 को उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रार्थीगण की सहमति से मुन्तकिल किया गया था। मुन्तकिल किये जाने के दिवस प्रकरण बहस में ही नियत था । पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार मीणा द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है ।प्रकरण का निस्तारण पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर ही किया जाता है । पीठासीन अधिकारी द्वारा कभी भी यह नहीं कहा गया कि प्रकरण खारिज होगा । प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे निराधार है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि दिनांक 23.12.2019 को अप्रार्थी नदबई गया ही नहीं इसलिए उसका उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । किस आदमी से अप्रार्थी द्वारा कहा कि उसकी बात पीठासीन अधिकारी से हो गई है, का स्पष्ट अंकन प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है । प्रार्थीगण द्वारा लगाये गए समस्त आरोप पीठासीन अधिकारी की छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं, जो झूंठे व असत्य हैं । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो । प्रार्थी की मंशा विचाराधीन प्रकरण को लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.28 16:46:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: